इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2016—पौष 14, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2016

अधि. क्र. 2 एफ 1-30-2014-18-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् छपारा का गठन करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सिवनी	छपारा	(1) छपारा	(1) छपारा
			(2) छपारा कला	(1) छपारा खुर्द
				(2) देवरी कला
				(3) छपारा कला
			(3) तिन्सा	(1) गहना नाला
				(2) पिण्डरई
				(3) चन्देनी
	•		•	(4) तिन्सा
			•	(5) घोघरीमाल
				(6) जामुनपानी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2016

अधि. क्र. 2 एफ 1-30-2014-18-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग को अधिसूचना क्रमांक एफ 1-30-2014-18-3, दिनांक 4 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, dated 4th January 2016

Not. No. 2-F-1-30-2014-XVIII.-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, constitutes the Municipal Council Chhapara comprising the villages of village panchayats mentioned in the table given below, namely:—

TABLE

S. No.	District	Tehsil	Name of village Panchayat	Areas included/details of villages
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Seoni	Chhapara	(1) Chhapara	(1) Chhapara
			(2) Chhapara Kala	n (1) Chhapara Khurd
•				(2) Deori Kalan
v.				(3) Chhapara Kalan
			(3) Tinsa	(1) Gehna Naala
				(2) Pindrai
				(3) Chandeni
			• •	(4) Tinsa
				(5) Ghoghrimal
				(6) Jaamunpani

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, PRAMOD GUPTA, Dy. Secy.